पाक विस्थापितों और घुमंतुओं को 160 प्लॉट देगा जेडीए

जोन-11 में लॉन्च होगी नई आवासीय स्कीम, 87 करोड़ के विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

जयपुर, 12 जून (का.सं.)। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में एक बार फिर नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में पब्लिक वर्क कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जोन - 11 आवासीय योजना के लिए मानचित्र अनुमोदन किया गया। वहीं ग्राम सीतापुर में घुमंतु और पाक विस्थापितों के लिए 160 प्लॉट आवंटन करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

बर्खास्त उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पहुंचे हाईकोर्ट

जयपुर, 12 जून (वेब वार्ता)। जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय जयपुर के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने अपनी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुटखा विज्ञापन मामले में बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस देकर चर्चा में आए मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए वैकेशन जज जस्टिस आनंद शर्मा की बैंच ने सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने मीणा को 3 जून को पद से बर्खास्त कर दिया था। याचिका में उन्होंने कहा कि उन्हें पद से हटाने से पहले प्राकृतिक न्याय की पालना नहीं की गई। न तो उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया और न ही जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया, वह उन्हें उपलब्ध करवाई गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मीणा की नियुक्ति 13 मार्च 2023 को हुई थी। उन्होंने अपने दो साल के कार्यकाल में करीब 1500 मुकदमों का निस्तारण किया, लेकिन किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई।

नेत्रदान, देहदान महादान है- सहकारिता राज्य मंत्री

जयपुर, 12 जून। आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान एवं मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में नेत्रदान-देहदान कार्यक्रम गुरुवार को पाली के बांगड चिकित्सालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि नेत्रदान कर दो व्यक्तियों की जिंदगी को रोशनी प्रदान कर सकते है। नेत्रदान, देहदान महादान की सार्थकता की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आयुष्मान भारत योजनाओं की सराहना कर गरीब हितैषी जन कल्याणकारी योजना बताया। उन्होंने आई बैंक सोसायटी के सदस्यों को ऐसे पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए सराहना की। इस अवसर पर कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर डॉ अनूप सिंह गुर्जर ने बताया कि अब तक लगभग 24800 नेत्रदान 32 वर्षो में हुए है तथा 24 देहदान हो चुके है। पूरे राजस्थान में पाली प्रथम स्थान पर है।

उन्होंने बताया कि देह एक ऐसी पुस्तक है जो किसी विक्रेता के पास नहीं मिलती है। नेत्रदान का संकल्प करने के लिए 7375855855 नंबर पर मिस कॉल करने पर एसएमएस से प्राप्त होने वाले लिंक पर क्लिक कर संकल्प पत्र भर सकते है या अधिक जानकारी के लिए 18002020388 हेल्पलाइन नंबर से सहायता प्राप्त कर सकते है। बांगड़ चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. हजारीमल चौधरी ने बताया कि अंगदान के लिए प्रेरित करते हुए अंगदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दिलीप चौहान ने कहा कि देहदान की गई देह की उपयोगिता शल्य चिकित्सक के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण दान बताया गया साथ ही अंगदान हेतु प्रेरित किया।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से सीधे किसानों तक तकनीक व विभागीय योजना की दी जानकारी

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 12 जून (का.सं.)। ग्राम पंचायत सान्दरसर और आलीसर निकटवर्ती ग्राम जालिम सिंह का बास, कुंभा का बास सहितो में विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से सीधे किसानों से रूबरू हो कर नई कृषि तकनीकी व कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र, चौमूं एवं कृषि विभाग के अधिकारियों व कृषि विभाग से डॉ कृष्णा यादव, ए ए कृषि पर्यवेक्षक सान्दरसर नरेंद्र सिंह नाथावत, पुष्पा कुमावत ने कृषि विभाग की योजनाओं की व जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में दी जानकारी विभाग से सहायक कृषि अधिकारी चौमूं से शिवकुमार पारीक ने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से किसानों को समझाया गया। इस मौके पर आलीसर प्रशासक सरपंच पर्व नारायण यादव, सान्दरसर प्रशासन सरपंच एवं कृषक किसान सहित सीताराम केशवा अन्य किसान उपस्थित रहे।

यात्रियो की सुविधा हेतु अहमदाबाद-दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा (01 ट्रिप) का संचालन

जयपुर। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु अहमदाबाद-दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा (01 ट्रिप) का संचालन किया जा रहा है।

गाडी संख्या 09497, अहमदाबाद-दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा दिनांक 12.06.25 को अहमदाबाद से 23.45 बजे रवाना होकर अगले दिन 14.30 बजे दिल्ली पहुँचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09498, दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा दिनांक 13.06.25 को दिल्ली से 17.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 08.30 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में महेसाना, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड जं., अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाडी, गुडगॉव व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में कुल 20 थर्ड एसी व 02 पॉवर कार डिब्बे सहित कुल 22 डिब्बे होगे।

भारत ने अमेरिका पर कसा तंज

नई दिल्ली, 12 जून (वेब वार्ता)। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझीदार बताये जाने और अमेरिकी सेना दिवस की परेड में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को आमंत्रित किये जाने पर तंज कसते हुए भारत ने उसे याद दिलाया कि 11 सितंबर 2001 के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के सूत्रधार अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने की सूचना देने वाला व्यक्ति अब भी पाकिस्तानी सेना की कैद में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बयानों एवं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस परेड में बुलाने के पीछे अमेरिकी रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा, पाकिस्तान वास्तव में क्या है, इसका रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम हमला सीमा पार आतंकवाद का सबसे हालिया उदाहरण है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था। जाहिर है, हममें से कोई भी यह नहीं भूला है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति - डॉ. शकील अफरीदी - जिसने ओसामा बिन लादेन को खोजने में मदद की थी, अभी भी पाकिस्तानी सेना द्वारा कैद है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजेलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अराजक एवं हिंसक प्रदर्शनों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के बारे में एक सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा, हम घटनाक्रम से अवगत हैं।

मेरिटो ने लॉन्च किया Mio AI - शिक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार ऑटोनॉमस एजेंट सिस्टम

नई दिल्ली, 12 जून (वेब वार्ता)। शिक्षा जगत में बढ़ती चुनौतियों जैसे कि दाखिले के दौरान सामने आने वाली मुश्किलें, छात्रों की बढ़ती अपेक्षाएं और जटिल प्रक्रिया को देखते हुए, मेरिटो (**NoPaperForms Solutions Ltd.** का प्रोडक्ट) ने **Mio AI** लॉन्च किया। यह एक ऐसा एडवांस्ड् है जो विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। **Mio AI** एक ऐसा नया सिस्टम है जो केवल सहायता ही नहीं करता, बल्कि छात्रों से जुड़ी हर प्रक्रिया में खुद से समझकर, सही दिशा में और स्वतंत्र रूप से काम करता है। मेरिटो के फाउंडर और सीईओ नवीन गोयल ने कहा यह सिर्फ एक फीचर लॉन्च करने की बात नहीं है, बल्कि भविष्य की शुरुआत है। **Mio AI** हमारे इरादों की एक मजबूत घोषणा है - हम शिक्षा के लिए ऐसी स्मार्ट तकनीक तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ तकनीक की बराबरी नहीं करती, बल्कि उसे नेतृत्व देती है। शिक्षा को सिर्फ दिखावटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी समझदार तकनीक चाहिए जो उसकी गहराई, व्यापकता और मानवीय पक्ष को समझे।

evolve by meritto

मेरिटो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (इंजीनियरिंग) नरेंद्र पाल सिंह ने कहा- स्ब्बश सिर्फ समय नहीं बचाता, बल्कि समय को और कीमती बनाता है। **Mio AI** एजेंट्स को यह पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है - उन्हें पहले से पता होता है, और वे खुद पहल करते हैं। यही फर्क है ऑटोमेशन और ऑटोनॉमी के बीच। और यही है वह तकनीकी ढांचा जो हमने बनाया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है | **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking) Where service is a way of life

अंचल कार्यालय, 30-31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड, विद्युत नगर, अजमेर रोड़, जयपुर -302021 फोन नंबर: 0141-2358350,2358628 ई-मेल: zo.jaipur@psb.co.in

आंतरिक फर्नीशिंग, इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग कार्य हेतु निविदा सूचना।

निविदा कमांक PSB/ZOJAIPUR/JHALAWAR-FUR/2025-26

निविदा जारी करने की तिथि	13.06.2025
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	04.07.2025 सांयकाल 05:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	07.07.2025 सायं 03:30 बजे से

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर (राजस्थान) की झालावाड़ शाखा के आंतरिक फर्नीशिंग, इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक बैंक की वेबसाइट www.punjabandsindbank.co.in से निर्धारित प्रारूप डाऊनलोड करके या कार्यालय समय में उपरोक्त पते से प्राप्त करके प्रस्ताव भेज सकते हैं।

पूर्ण प्रस्ताव बंद लिफाफे में (सीलबंद) और हस्ताक्षरित रूप में दिनांक 04.07.2025 को सांयकाल 5:00 बजे तक उपरोक्त पते पर पहुँच जाना चाहिए।

दिनांक:13.06.2025 **आँचलिक प्रबंधक**

रामस्नेही संप्रदाय की नवनिर्मित रामस्नेही वाटिका का भव्य लोकार्पण 13 जून को, जगद्गुरु रामदयाल महाराज करेंगे उद्घाटन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 12 जून (दीपांकुर चौहान)। अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर, अनंत विभूषित जगद्गुरु श्री श्री 108 स्वामी रामदयाल महाराज के पावन कर कमलों से एवं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के आतिथ्य में 13 जून, शुक्रवार को सायं 6 बजे सूरज पोल गेट, पुरानी केकड़ी स्थित नवनिर्मित रामस्नेही वाटिका का भव्य लोकार्पण संपन्न होगा।

इस अवसर पर आचार्य श्री रामदयाल महाराज का मंगल प्रवेश भी उसी दिन सायं 5 बजे सूरज पोल गेट के बाहर पथवारी से एक भव्य शोभायात्रा के रूप में होगा। इस स्वागत यात्रा में सर्वसमाज के महिला-पुरुष आचार्यश्री की पदरावणी करते हुए शामिल होंगे। लोकार्पण उपरांत धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जगद्गुरु रामदयाल महाराज द्वारा आत्म कल्याण एवं आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत आशीर्वचन प्रदान किए जाएंगे। इस शुभ अवसर पर रामद्वारा सेवा समिति के आनंदीराम सोमानी ने जानकारी दी कि महाप्रसादी भंडारे का आयोजन भी नवनिर्मित रामस्नेही वाटिका में ही किया जाएगा, जिसमें केकड़ी क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुजन सपरिवार आमंत्रित हैं। इसके साथ ही 14 जून, शनिवार को प्रातः 8 से 9 बजे तथा रात्रि 8 से 10 बजे तक रामस्नेही वाटिका में जगद्गुरु रामदयाल महाराज के मुखारविंद से सत्संग एवं जनकल्याण के लिए दिव्य प्रवचन आयोजित किए जाएंगे।

यादव समाज के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश यादव को बनने पर समाज के लोगों ने जगह-जगह सम्मानित किया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 12 जून (का.सं.)। यादव समाज के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद खातोदिया बनने पर समाज बंधुओ ने चौमूं तहसील में, गोविंदगढ़, दूदू, भन्दे के बालाजी, चाकसू सहित आसपास के समाज के बंधुओ ने निर्वाचित अध्यक्ष का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत व सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर जगदीश यादव ने समाज के बांधों को कहा कि समाज में जब भी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको हर समस्या व मदद के लिए हल करने में खड़ा मिलूंगा और समाज के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। भन्दे बालाजी व दूदू से विश्व परिषद के महामंत्री मोहनलाल यादव एवं यादव समाज कि लोगों के सानिध्य में सम्मान में स्वागत किया गया। चौमूं के यादव छात्रावास के छात्रों ने डॉक्टर यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गोविंदगढ़ पंचायत समिति के यादव समाज के वरिष्ठ नेता भैरू राम यादव के सानिध्य सम्मान और स्वागत किया गया। इस अवसर पर घासीलाल, राजेंद्र, भीवाराम ठोठवाल, प्रकाश बाडीगर, हरि बिछवा लिया, पूर्व सरपंच नंद किशोर यादव, कैलाश चंद, बंशीधर खैरवाल, ने भी अन्य समाज के लोगों ने जगह-जगह पर सम्मान व स्वागत किया जा रहा है।

मीठी नदी सफाई घोटाला

अभिनेता डिनो मोरिया ईडी के समक्ष पेश हुए

मुंबई, 12 जून (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया मीठी नदी की सफाई से जुड़े 65 करोड़ रुपये के घोटाले के की धन शोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने पूछताछ के लिए मोरिया को तलब किया था और वह पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने पूर्व में बताया था कि ईडी ने छह जून को मुंबई और केरल के कोच्चि में 15 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। इन परिसरों में बांद्रा (पश्चिम) इलाके में डिनो मोरिया का घर, उनके भाई सैंटिनो से जुड़े परिसर, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कुछ अधिकारी और ठेकेदारों के परिसर शामिल थे।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE **कॉर्पोरेट ऑफिसः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, लिटिल माउन्ट, सैदापेट, चेन्नई-600015, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थानः द्वितीय तल,** 212, 213, 214, **एवरशाइन टॉवर, एफ-1, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021,** E-mail: **auction@hindujahousingfinance.com**

कब्जे की सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिंदूजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस को जारी किया, जिसमें निम्न ऋणीयों से नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणी और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

क्र. सं.	खाता संख्या एवं ऋणीयों का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि (रू.) / सांकेतिक कब्जे की दिनांक व राशि
1.	RJ/TNK/TONK/A000000181 1. श्री गिरिराज बलाई (ऋणी) 2. श्रीमती जमना देवी (सह-ऋणी)	15/03/2025 रू. 5,49,352/- / 10/06/2025 रू. 5,49,352/- दिनांक 01/03/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 12, खसरा संख्या 1385 गांव काकोर, ग्राम पंचायत काकोर, पंचायत समिति, उनियारा, जिला टोंक, राजस्थान भारत 304024, क्षेत्रफल 105 वर्गगज। सीमाएं- पूर्व- भेरूजी का स्थान, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- लक्ष्मण चोबदार का घर दक्षिण- रास्ता	
2.	RJ/TNK/PELU/A000000015 1. श्री मंगला मीना (ऋणी) 2. श्रीमती रुक्मणी मीना (सह-ऋणी)	15/02/2025 रू. 601804/- / 10/06/2025 रू. 601804/- दिनांक 01/01/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 17394, गाँव कुरेडी, ग्राम पंचायत कुरेडा, पंचायत समिति, टोंक और तहसील पिपलू, जिला टोंक, राजस्थान भारत 304001, क्षेत्रफल 69 वर्गगज, सीमाएं- पूर्व - स्वयं का बाड़ा, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- गली, दक्षिण- पंचू लाल का मकान।	
3.	RJ/TNK/TONK/A000000227 1. श्री मो. शफीक (ऋणी) 2. श्रीमती आमना खानम (सह-ऋणी) 3. श्रीमती शकीला मोहम्मद हनीफ	15/02/2025 रू. 5,05,815/- / 10/06/2025 रू. 5,05,815/- दिनांक 01/02/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 2251, मोहल्ला कोरोलियां, वार्ड संख्या 48, छावनी, नगर परिषद टोंक, तहसील टोंक, जिला टोंक, राजस्थान भारत 304001, क्षेत्रफल 116.5 वर्गगज। सीमाएं- पूर्व - रास्ता गली स्वयं की, पश्चिम - उबेद मिया और हबीब मिया का घर, उत्तर - अफसल मिया का घर, दक्षिण - जुम्मा मिया का घर	
4.	RJ/TNK/TONK/A000000100 1. श्री रामअवतार गुर्जर (ऋणी) 2. श्रीमती रमेशी (सह-ऋणी)	15/03/2025 रू. 14,54,750/- / 10/06/2025 रू. 14,54,750/- दिनांक 01/03/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 41, गांव शिवपुरी, ग्राम पंचायत सोरन, पंचायत समिति, टोंक, जिला टोंक, राजस्थान भारत 304001, क्षेत्रफल 222 वर्गगज सीमाएं- पूर्व - स्वयं का खाली क्षेत्र, पश्चिम - रास्ता व स्वयं का खाली क्षेत्र, उत्तर- स्वयं का खाली क्षेत्र, दक्षिण- स्वयं का खाली क्षेत्र	
5.	RJ/TNK/TONK/A000000353 1. श्री रामेश्वर जाट (ऋणी) श्रीमती रामकन्या देवी (सह-ऋणी)	26/03/2025 रू. 7,93,871/- / 10/06/2025 रू. 7,93,871/- दिनांक 15/03/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 20, गांव बगड़ी, ग्राम पंचायत बगड़ी, पंचायत समिति एवं तहसील पिपलू, जिला टोंक, राजस्थान भारत 304801 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्गगज है, सीमाएं- पूर्व में कानाराम/हरनाथ का बाड़ा एवं आम रास्ता, पश्चिम में खाली क्षेत्र, उत्तर में विश्रामी/सुवालाल जाट का बाड़ा, दक्षिण में खाली क्षेत्र	
6.	RJ/TNK/TONK/A0000000741 1. श्री तारा चंद खटीक (ऋणी) 2. श्रीमती सीमा देवी (सह-ऋणी)	15/03/2025 रू. 9,20,200/- / 10/06/2025 रू. 9,20,200/- दिनांक 01/03/2025
	प्रतिभूत आस्ति का विवरण- संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है जिसमें पट्टा संख्या 01, ग्राम देवली रोड, जहाजपुर, नगर पालिका मंडल जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा, राजस्थान भारत 311201, क्षेत्रफल 512.69 वर्गफिट सीमाएं- पूर्व-रास्ता, पश्चिम-बन्ना लाल जाट, उत्तर-मिश्री लाल खटीक दक्षिण-राम लाल टेपण	

CLM- RAM SINGH- 8239881888 CRM- PRAVEEN KUMAR- 9829210801 RRM- SIDDHARTHA SINGH- 7891119990 RLM- DILIP SONGH YADAV- 9829700491

ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है। ऋणी को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस संपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार एचएचएफएल के निम्न वर्णित राशि व ब्याज के अध्यधीन होगा।

दिनांकः 13.06.2025 स्थानः टोंक, भीलवाड़ा (प्राधिकृत अधिकारी) हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड
(पहले एलएंडटी फाइनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज शोरूम के पास, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई 400 098
सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: कोलकाता

L&T Finance

गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोगांतर्गत अपनी बकाया राशियों एवं आगामी ब्याज, प्रभारों, शुल्कों एवं व्ययों आदि की वसूली हेतु "सार्वजनिक निलामी" के माध्यम से "जहाँ है" और "जैसी स्थिति में है" आधार पर निम्नांकित संपत्ति की नीलामी की जा रही है.

कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम	सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का पता	लोन अकाउंट नंबर	लिया गया भौतिक कब्जा	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आरमी का 10% या अधिक (₹ में)	सुरक्षित ऋण	आरक्षित मूल्य (₹ में)	निरीक्षण का दिनांक	नीलामी का दिनांक और समय
1. लोकेश नेहरचंदानी 2. गोपाल दास 3. कमला 4. मे. लक्ष्मी एंटरप्राइजेस (इसकी स्वामी कमला के माध्यम से) 5. मैसर्स रॉयल ट्रेडिंग कंपनी (इसके स्वामी लोकेश नेहरचंदानी के माध्यम से)	संपति के सभी अधिकार, स्वामित्व एवं हित, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : मकान नंबर 113/30, जिसकी माप 50.92 वर्ग मीटर है, जो अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 302020 में स्थित है. चतुर्सीमा: पूर्व - भूखंड क्रमांक 110/29; पश्चिम - भूखंड क्रमांक 110/31; उत्तर - भूखंड क्रमांक 110/10; दक्षिण - सड़क 30''-0'' चौड़ी	H01602150921010147, H01602170921030742, H01602170921030742L, H01602170921030742G, H01602170921014443, H01602170921043450	19 मार्च 2025	रु. 3,76,408.90/-	दिनांक 09-08-2024 की माँग सूचना के अनुसार दिनांक 10/05/2024 तक कुल बकाया राशि रु. 1,01,75,444.95/- है.	रु. 37,64,089/-	सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक पूर्व से निर्धारित समय के साथ.	दिनांक 14.07.2025 को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
	संपति के सभी अधिकार, स्वामित्व एवं हित, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : मकान नंबर 113/55, जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 4.00 मीटर और उत्तर से दक्षिण 9.00 मीटर और कुल क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर, 12.722 वर्ग मीटर है, जो अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 302020 में स्थित है और इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है : पूर्व - मकान नं. 113/56; पश्चिम - मकान नं. 113/54; उत्तर - सड़क 30 फीट चौड़ी; दक्षिण - मकान नं. 113/66			रु. 2,45,580.50/-		रु. 24,55,805/-		
	संपति के सभी अधिकार, स्वामित्व एवं हित, जिसके विवरण इस प्रकार हैं : मकान नंबर 113/56, जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 4.00 मीटर और उत्तर से दक्षिण 9.00 मीटर और कुल क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर, 12.722 वर्ग मीटर है, जो अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 302020 में स्थित है और इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है: पूर्व - मकान नंबर 113/57; पश्चिम - मकान नंबर 113/55; उत्तर - सड़क 30 फीट चौड़ी; दक्षिण - मकान नंबर 113/65			रु. 2,45,580.60/-		रु. 24,55,806/-		

सार्वजनिक निलामी के नियम व शर्तें

1. एसएआरएफएईएसआई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ई-नीलामी मोड की सहायता से और के ज़रिए ई-नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
2. यह सार्वजनिक ई-नीलामी उपरोक्त तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति "जहाँ है" और "जैसी स्थिति में है" आधार पर बेची जाएगी.
3. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इसकी मंशा रखने वाले क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को 12/07/2025 को या उससे पहले पेनकार्ड, कंपनी होने की स्थिति में मंडल संकल्पों और पते के प्रमाण की प्रतियों के साथ इन सुरक्षित संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना धनराशि जमा के भुगतान के विवरण जमा करने होंगे.
4. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ईएमडी को सार्वजनिक ई-नीलामी के समापन के 7 दिन के भीतर एलटीएफ द्वारा वापस कर दिया जाएगा. इस ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
5. सफल क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) भाग 14/07/2025 को यानी ई-नीलामी के दिन शाम 18.00 बजे या उससे पहले या उसके अगले कार्यदिवस यानी 15/07/2025 को जयपुर में देय "एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, जिस जमा की पुष्टि एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर विक्रय को असफल माना जाएगा और उस सफल बोलीकर्ता की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा. शेष राशि यानी क्रय राशि का 75% भाग क्रेता द्वारा एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड को अचल संपत्ति के विक्रय की पुष्टि होने के पंद्रह दिन या उससे पहले या कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी विस्तारित अवधि में देय होगा.
6. संपत्ति के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, संभावित बोलीकर्ता अधिकृत अधिकारी, अर्थात नाम - रामप्रसाद शर्मा, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, पीएस सृजन, टेक पार्क, 15वीं मंजिल, ब्लॉक-डीएन-52, सेक्टर-वी, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091 और संतोष तिवारी, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय: छठी मंजिल, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 177, कलिना, सीएसटी रोड, मर्सिडीज शोरूम के पास, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई - 400 098, संपर्क नंबर 0222-68076666। ई-नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या ई-नीलामी को स्थगित कर सकता है।
7. सफल क्रेता/बोलीकर्ता को ऐसे कोई भी वैधानिक शुल्क, कर, देय प्रभार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि वहन करना होगा, जो लागू कानूनों के अनुसार संपत्ति को उसके पक्ष में सौंपने/प्रदान करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता हो.
8. ऋणी/गारंटर, जो उक्त बकाया राशियों के लिए देनदार हैं, द्वारा उपरोक्त सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय के धारण के बारे में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 (6) के अंतर्गत एक सूचना के रूप में इस विक्रय सूचना को लिया जाएगा.
9. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर को एतद्द्वारा उक्त ई-नीलामी दिनांक से पहले ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार संपूर्ण बकाया लोन राशि अदा करने का आवाहन किया जाता है जिसमें विफल रहने पर एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड एसएआरएफएईएसआई में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को बेच देगी.
10. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर और जन सामान्य को एतद्द्वारा एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना सूचना में संदर्भित सिक्योर्ड संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी तरीके से अंतरित करने से निषिद्ध किया जा रहा है.

दिनांक: 13.07.2025
स्थान: जयपुर

कृते/-
प्राधिकृत अधिकारी
एलएंडटी फाइनान्स लिमिटेड के लिए

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेंगे। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08